



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- 12018 जिला ज़िल्हेर रिपोर्ट

I/अपील/डिब्लॉर/अग्र.अग्र. 2018/054 मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज
लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला
ग्वालियर (म.प्र.)

श्री नगलकुमार
द्वारा आज दिन 6/2/18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 12-2-2018/क्रियत।

T
कलक्षुण अॅफ कोर्ट नं 28
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.....अपीलार्थी

बनाम

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड्नदस्ता, जिला- जबलपुर
- 3- जिला आबकारी अधिकारी, जिला ज़िल्हेर रिपोर्ट

.....प्रतिअपीलार्थीगण

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017-18/3921 दिनांक 29.07.2017 के विळङ्घ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैदा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है-

मामले के संक्षिप्त तथ्य

यहकि, अपीलार्थी कम्पनी देशी मदिरा का उत्पादन एवं प्रदाय का कार्य करती है। अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2012-13 में देशी मदिरा प्रदाय क्षेत्र जिला ज़िल्हेर के मध्य भाण्डागारों में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक-5(1)2011-12/321 दिनांक 09.02.2012 द्वारा प्रदान की गई थी।

2- यहकि, तथाकथित अनियमितताओं के लिए प्रदाय संविदाकार

प्रदाय संविदाकार अनोन्हित अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/डिण्डोरी/आ.आ./2018/0954

संजान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
३५/०४/१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा अवधि विधान की धारा-5 पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उद्धरित न्याय दृष्टांतों का अवलोकन किया। यह अपील आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध दिनांक 06.02.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि वाहय है। विलंब का कारण उनके द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 09.08.2017 की प्रति रिकॉर्ड में रखकर भूल जाना बताया गया है, परंतु अपने तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कारण उनको समय सीमा में छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में यह अपील अवधि वाहय होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	